कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/51/2022

श्रीमति शशिवाला पत्नी स्व0 श्री दयालचन्द शर्मा व.अ., गौतम विद्या मंदिर के पीछे कर्नल तेजराम की कोठी के पास गणेश नगर कोल्ड स्टोर के पीछे सेवर रोड भरतपुर।

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, एंव अति0जिला कलक्टर, भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 26.7.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट श्रीमति शशिवाला पत्नी स्व0 श्री दयालचन्द शर्मा व.अ., गौतम विद्या मंदिर के पीछे कर्नल तेजराम की कोठी के पास गणेश नगर कोल्ड स्टोर के पीछे सेवर रोड भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 10.6.2022 से अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/425 दिनांक 07.7.2022 से अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलव की गई। अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर का जवाव पत्र क्रमांक/सामान्य/2022/अपील/5766 दिनांक 14.7.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी ने चाही गई सूचना उसे उपलवध नहीं कराई गई है, सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर का जवाव पत्र क्रमांक/सामान्य/2022/अपील/5766 दिनांक 14.7.2022 का अवलोकन किया गया। उन्होने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थीया के आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र में चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 4 की सूचना पत्रांक/आरटीआई(103)/2022/3742 दिनांक 29.05.2022 द्वारा प्रदान की गई है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना की प्रमाणित प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी ने 2 रूपये कैशियर कलैक्ट्रेट भरतपुर में जमा कर रसीद अनुभाग में प्रस्तुत नहीं की है। बिन्दु संख्या 4 वर्णित सूचना सचिव नगर विकास न्यास से सम्बन्धित होने के कारण, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक/नाजिर/आरटीआई/2018/59 दिनांक 16.1.2018 से स्थानान्तरित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी के पत्र जवाब के साथ प्राप्त फोटो प्रति पत्र क्रमांक/आरटीआई(103)/2022/3742 दिनांक 19.7.2022 जो कि अपीलार्थी को सम्बाधित करते हुये प्रतिलिपि सचिव नगर विकास भरतपुर को भेजा गया

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

है के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी / प्रार्थी के द्वारा बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्राप्त करने हेतु 2 रूपये राजकोष में जमा नहीं कराये गये है। बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र को सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है। यानि लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलक्टर, भरतपुर के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उपरोक्तानुसार यदि सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रेषित अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उनके खिलाफ नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने को प्रार्थी स्वतन्त्र हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (अति. जिला कलेक्टर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) भिजवायें। निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग भरतपुर एवं सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को सूचनार्थ प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर